

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2627]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 2627]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

(आय-कर)

का. आ. 3312 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख और धारा 92घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10घ में उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, जहां तक वह नियम 10नजख में निर्दिष्ट किसी पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, नियम 10नजक में वर्णित किसी पात्र निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगी और—

(क) नियम 10नजक के खंड (i) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा ;

- (ii) निर्धारिती के कारबार का और उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण ;
- (iii) प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;
- (iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, यदि कोई हों, का अभिलेख और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में ऐसे आयोग के आदेश ;
- (v) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुतः कार्य का अभिलेख ;
- (vi) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;
- (vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ।

(ख) नियम 10 नजक के खंड (ii) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :--

- (i) निर्धारिती सहकारी सोसाइटी के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे सदस्यों द्वारा उसमें धारित शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का व्यौरा ;
- (ii) सदस्यों का विवरण, जिसके अंतर्गत उनके पते और सदस्यता की कालावधि भी है ;
- (iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;
- (iv) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुतः कार्य का अभिलेख ;
- (v) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;
- (vi) पारदर्शी रीति में नेमी रूप से कीमत घोषित करने के संबंध में और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होने वाले दस्तावेज ; और
- (vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ;

3. उक्त नियमों के नियम 10 नजक में, “और विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है”, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“और —

- (i) विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है ; या
- (ii) दुग्ध या दुग्ध उत्पादों के उपापन और वितरण के कारबार में लगी कोई सहकारी सोसाइटी है” ।

4. उक्त नियमों के नियम 10 नजख के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“या

- (iv) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके सदस्यों से दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय।”

5. उक्त नियमों के नियम 10 नजग के उप नियम (2) की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“2	नियम 10 नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय ।	दुग्ध या दुग्ध उत्पादों की कीमत का अवधारण उस दर पर किया जाता है, जिसे दुग्ध की क्वालिटी, अर्थात् दुग्ध की वसा अंतर्वस्तु और ठोस अंतर्वस्तु, जो वसा नहीं है (एस.एन.एफ.) के आधार पर तय किया जाता है ; और -- (क) उक्त दर का अवधारण निम्नलिखित पर ध्यान न देते हुए किया जाता है, -- (i) उपापत की गई दुग्ध की मात्रा ; (ii) सहकारी सोसाइटी में सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत ; (iii) सोसाइटी में सदस्यों द्वारा धारित मतदान की शक्ति ; और (ख) ऐसी कीमतों को सहकारी सोसाइटी द्वारा नियमित रूप से एक पारदर्शक रीति में घोषित किया जाता है और वे जनता के लिए उपलब्ध हैं ।”।
----	---	---

6. उक्त नियमों के नियम 10 नजख के उप नियम (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2013 या 1 अप्रैल, 2014 या 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए, नियम 10 नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत, निर्धारिती द्वारा 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पूर्व प्ररूप 3गडचख प्रस्तुत किया जा सकेगा ।”

7. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 के प्ररूप संख्या 3गडचख के उप पैरा (2) की सारणी में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“2	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के क्रय के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है ?	हां/नहीं								
	यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं : (क) वर्ष के दौरान सदस्यों से क्रय किए गए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मात्रा । (ख) सदस्यों से क्रय किए गए दुग्ध उत्पादों के समतुल्य दुग्ध के ब्यौरे । (ग) ऐसी दर या दरें, जिन पर वर्ष के दौरान दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय किया गया है । (घ) क्या दुग्ध या दुग्ध उत्पादों के क्रय के लिए संदाय सहकारी सोसाइटी के सभी सदस्यों को समान दर पर किया गया है । (ङ) क्या अंतरण मूल्य नियम 10नजग में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है ।	<table><tr><td>दुग्ध उत्पाद</td><td>दुग्ध समतुल्य</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>दर</td><td>वह अवधि जिसके दौरान दर लागू थी</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> हां/नहीं हां/नहीं” ।	दुग्ध उत्पाद	दुग्ध समतुल्य			दर	वह अवधि जिसके दौरान दर लागू थी		
दुग्ध उत्पाद	दुग्ध समतुल्य									
दर	वह अवधि जिसके दौरान दर लागू थी									

[अधिसूचना सं. 90/2015/फा.सं. 142/7/2014-टीपीएल]

एकता जैन, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण :- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 28 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 923(अ) तारीख 2 दिसंबर, 2015 द्वारा किया गया था ।